स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 6 जनवरी, 1984

सं० 46/14/80-5-स्वा.शा.-II.—चूंकि राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि हरियाणा राज्य में भयानक महामारी अर्थात् संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) फैलने का खतरा है और इस प्रयोजन के लिए इस समय लागू विधि के साधारण उपबन्ध अपर्याप्त है:—

इसलिए, अब महामारी अधिनियम, 1897, की धारा 2 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा :—

(i) उपायुक्तों को उनके अपने-अपने जिलों के क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं:—

(क) किन्हीं नि ट खाद्य पदार्थों या पेयों अथवा ऐसे पदार्थों के अन्य वर्गों के जिले के किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन या उसमें आयात अथवा उससे निर्यात को रोकना।

(ख) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य अथवा पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना।

(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल या ऐसे स्थान में जो किन्हीं खाद्य अथवा पेय पदार्थ विक्रय भण्डारकरण अथवा मुफ्त वितरण के लिए उपयोग में लाया जाता है प्रवेश करने वारे ऐसे पदार्थों की जांच करने और यदि वह अस्वास्थ्यकर पाएजाएं तो जब्त करने, हटाने, नष्ट करने या उसे किसी भी ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझे समाप्त कराने के लिए प्राधिकृत करना ताकि उसे मानवों के उपयोग आने से रोका जा सके।

(घ) सभी प्रयोजनों के लिए जल की सप्लाई हेतु उपयुक्त स्थान पृथक करना और किसी अन्य स्रोत से जल के उपयोग का निषेध करना और उस स्रोत का जिससे ऐसी जल सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, समय, रीति तथा शर्तें नियमित करना।

(ङ) किसी वर्फ के कारखाने या वाति जल या खनीज जल कारखानों को बन्द करने के आदेश देना।

(च) स्नान के लिए उपयुक्त स्थान पृथक करना और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए, जिनके द्वारा ऐसे स्थानों को उपयोग में लाया जा सकता है अलग-अलग समय निर्दिष्ट करना।

(छ) पशुओं का नहलाने और कपड़े धोने के लिए या जनता के स्वास्थ्य, सफाई अथवा सुविधा से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजनों के लिए स्थान पृथक करना।

(ज) खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः भिन्न स्नान करने की अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए नियत किए गए स्थानों से भिन्न स्थान पर पशुओं के नहलाने या कपड़े धोने को रोकना।

(झ) अलगाव शिविरों, अस्पतालों और चिकित्सा निरीक्षण चौकियों की स्थापना करना।

(ञ) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित व्यक्ति को अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना।

(ट) जिले में किसी मेले के आयोजन को रोकना।

(ठ) यह आदेश देना कि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति, टीका लगवाएंगे, अवयस्कों के मामले में आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे, और तब ऐसे सभी व्यक्तियों को टीके लगवाने अपेक्षित होंगे।

(ii) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ट चिकित्सा अधिकारियों, सभी नगरपालिका चिकित्सा अधिकारियों,

सरकारी या स्थानीय निकाय अस्पतालों और औषधालयों (डिस्पेंसरियों) के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों, सरकारी खाद्य निरिक्षकों, वरिष्ट सफाई निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों, स्वास्थ्य निरीक्षकों, सहायक यूनिट अधिकारियों, सहायक मलेरिया अधिकारियों और सभी मैजिस्ट्रेटों को उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं:—

(क) किन्हीं अस्वास्थ्यकर खाद्य या पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश करना ।

(ख) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित अथवा पीड़ित होने की सम्भावना वाले व्यक्ति को हटाने और अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना ।

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के आदेश देना, जिसे उनकी राय मे छूत होने का डर हो (अवयस्कों के मामले में ये आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को संबोधित होंगे) ।

(घ) संक्रामक यकृत विकार के रोगियों का पता लगाने अथवा उस बीमारी का टीका लगवाने या रोगाणुनाशन के प्रयोजनार्थ किसी भी परिसर में प्रवेश करना।

(ङ) किन्हीं नालियों, परिसरों, शौचालयों, वस्त्रों, बिस्तरों या किसी अन्य वस्तु को जो उनकी राय में रोगाणुग्रस्त है या जिससे रोगाणुओं के फैलने की सम्भावना है, सफाई या उसके रोगाणुनाशन के और किसी भी वस्तु धणोत्पादक सामग्री, कूड़ाकर्कट, विष्ठा, गोबर या किसी प्रकार की गन्दगी हटाने को और उसे समाप्त करने अथवा उपयुक्त रोगाणुनाशकों (disinfectant) को प्रयोग मे लाने के आदेश देना ।

(च) पीने के पानी को सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की सप्लाई के कलोरीकरण का आदेश देना ।

(iii) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक उप-निदेशक, और सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं—

(क) जब भी जिला में संक्रामक यकृत विकार फैलने का डर हो तो नगरपालिका क्षेत्रों एवं पंचायत समितियों के अधीन क्षेत्रों के लिए विद्यमान पद संख्या से दुगने पदों तक महतरों या सफाई मजदूरों, सफाई निरीक्षकों या वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों के पद बनाना और उक्त पदों को जिले के संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से मुक्त होने की घोषणा की तिथि से एक मास तक अस्थाई रूप में भरना और यह आदेश देते हैं कि घर का मुखिया या घर का व्यस्क सदस्य ।

(ख) प्रत्येक पंजीकृत प्राईवेट चिकित्सा व्यवसायी जिसे किसी घर में संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) होने का ज्ञान हो, इसकी सूचना इसके पता लगने से चौबीस घण्टे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच को या उसके न होने पर गांव के नम्बरदार को या किसी स्थानीय अस्पताल/औषधालय के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी को या नगरपालिका के सचिव को देगा जिनके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है या व्यवसाय करता है जो बाद में मामलों की रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने का जिम्मेदार होगा ।

(ग) यह निदेश देते हैं कि (खण्ड (i) के अधीन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी किया गया कोई आदेश उस स्थानीय क्षेत्र में तब तक लागू रहेगा जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सरकारी तौर पर संक्रामक यकृत विकार से मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता । यह निर्देश देते हैं कि इस आदेश के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये गए किसी उपाय की लागत उस पंचायत समिति या नगरपालिका द्वारा जुटाई जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा उपाय किया जाए और इसको वसूली करने के लिए हरियाणा द्वारा खजाने मे सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण की निधियों के बकायों में से कटौती द्वारा की जा सकती है ।

यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1934 तक लागू रहेगा ।

एम० सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

स्वास्थ्य विभाग ।